भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3092

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

3092. श्री शशांक मणि:

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा दर में सुधार के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत विशिष्ट पहलें शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक प्राप्त किए गए मापनीय परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मुद्दों का समाधान करने के लिए पहुँच कार्यक्रम या सहायता सेवाएं लागू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं कि उक्त योजना के लिए आवंटित निधि का जमीनी स्तर पर कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग हो तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए मीडिया और प्रचार संबंधी व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना का उद्देश्य लैंगिक पक्षपात आधारित लिंग-चयन प्रथाओं को रोकना, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा उनमें शिक्षा को बढ़ावा देना है। बीबीबीपी 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और मिशन शक्ति के संबल घटक का एक भाग है।

बीबीबीपी योजना के माध्यम से स्कूल न जाने वाली किशोरियों (ओओएसएजी) को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा में पुन:नामांकित करने के उद्देश्य से 07 मार्च 2022 को "कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव" नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया। प्रबंध पोर्टल की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1,44,107 ओओएसएजी की पहचान और उन्हें चिन्हित किया गया। इनमें से 1,00, 786 ओओएसएजी को शिक्षा प्रणाली में पुन:नामांकित किया गया है।

इस योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य मापनयोग्य मानदंड जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के अनुसार एसआरबी 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 (अनंतिम आंकड़ा) हो गया है। साथ ही, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई +) के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में बालिकाओं का राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित 79.4 प्रतिशत हो गया है।

(ख) महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मुद्दों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सहायता सेवाओं की निम्नलिखित आउटरीच गतिविधियाँ शुरू की हैं:

I. महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता प्रसार करने और उन्हें विभिन्न हेल्पलाइनों तथा संस्थागत सहायता के माध्यम से सरकार से संपर्क करने हेतु जागरूक करने के लिए 'महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा' और 'कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न' विषयों पर 25 मार्च, 2020 को विशेष अभियान और मीडिया योजना शुरू की गई। इसे मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया।
II. राष्ट्रीय महिला आयोग ने नियमित तरीकों से प्राप्त शिकायतों के प्रबंधन के अलावा, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर "7217735372" शुरू किया है क्योंकि घरेलू हिंसा के मामलों में तात्कालिकता को देखते हुए पीड़ित अपने उत्पीड़कों के साथ एक ही घर में रहने को मजबूर हैं।
III. शिकायतकर्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए लॉकडाउन की अवधि के दौरान शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए की गई अन्य पहलें इस प्रकार थीं: -
    i. ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जैसे सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर शिकायतकर्ता, पुलिस या अन्य प्राधिकारियों से संपर्क करके उचित ढंग से समाधान किया गया।
    ii. तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों में महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों, प्रशासन और अन्य प्राधिकारियों से टेलीफोन/ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया गया।

सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण, शक्ति सदन, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) और महिला केंद्रित कानूनों के तहत विभिन्न संस्थागत प्राधिकरण इस अवधि के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने

के लिए तैयार और उपलब्ध रहें। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बीबीबीपी के अंतर्गत निधि उपयोग का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर धनराशि जारी की जा रही है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए एसआरबी के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार जिलों की विशेषक एसआरबी स्थिति के आधार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन ब्रैकेट निर्धारित किए गए हैं।:

I. 918 से कम या इसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को 40 लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं।

II. 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं।

III. 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं।

मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के लिए एक परिचालन नियमावली भी जारी की है जिसमें जिलों के लिए विस्तृत और सुव्यवस्थित गतिविधि कैलेंडर शामिल है ताकि बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए निगरानी तंत्र कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर मिशन शक्ति की व्यापक रूपरेखा के अनुरूप और उसमें अंतर्निहित है। वर्ष में एक बार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समग्र योजना गतिविधियों की प्रगति और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति का सूक्ष्मता से निगरानी करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और फील्ड दौरे करके योजना की समीक्षा करते हैं।

(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए मीडिया और प्रचार पर व्यय का वर्षवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) में मिशन शक्ति के तहत संयुक्त बजट का प्रावधान है और बीबीबीपी योजना का फोकस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनजागरूकता पर है जो जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करता है जैसे बालिकाओं में खेलों को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर और पीसी-पीएनडीटी अधिनियम इत्यादि के बारे में जागरूकता।

*****

अनुलग्नक-I

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में श्री शशांक मणि और श्री एंटो एन्टोनी द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3092 के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

(रुपए लाख में)						
बीबीबीपी योजना के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक निधि उपयोग						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	**आंध्र प्रदेश**	137.49	36.92	14.41	48.00	455.65
2	**अरुणाचल प्रदेश**	208.85	99.58	29.80	0.00	398.29
3	**असम**	53.55	37.16	15.11	27.38	830.22
4	**बिहार**	52.25	10.91	42.19	60.82	822.99
5	**छत्तीसगढ़**	67.23	28.16	39.78	9.05	592.59
6	**गोवा**	4.07	8.00	0.00	0.00	0.00
7	**गुजरात**	434.08	348.39	252.51	67.32	470.16
8	**हरियाणा**	286.69	142.27	27.10	5.97	235.93
9	**हिमाचल प्रदेश**	229.85	135.18	70.26	55.54	114.27
10	**जम्मू एवं कश्मीर**	370.45	341.63	117.56	0.00	204.23
11	**झारखंड**	80.24	19.94	31.10	0.00	218.91
12	**कर्नाटक**	99.71	112.67	57.12	0.00	413.94
13	**केरल**	17.14	6.08	0.00	0.00	255.52
14	**मध्य प्रदेश**	758.70	833.77	542.55	424.87	652.32
15	**महाराष्ट्र**	365.14	167.10	99.94	5.07	270.27
16	**मणिपुर**	367.73	324.98	30.00	0.00	0.00
17	**मेघालय**	57.80	19.89	0.00	0.00	0.00
18	**मिजोरम**	75.00	75.00	60.00	0.00	195.60
19	**नागालैंड**	298.92	290.60	194.29	0.00	579.05
20	**ओडिशा**	50.89	52.38	0.60	0.00	440.79
21	**पंजाब**	683.75	534.39	74.17	0.00	209.96
22	**राजस्थान**	430.59	525.66	591.11	262.67	458.78
23	**सिक्किम**	50.00	22.20	25.00	0.00	6.00
24	**तमिलनाडु**	302.73	224.61	97.53	39.10	970.21
25	**तेलंगाना**	216.11	118.68	7.09	0.00	357.92

26	त्रिपुरा	20.94	12.50	0.00	0.00	179.56
27	उत्तर प्रदेश	970.39	938.61	163.80	810.50	1201.76
28	उत्तराखंड	537.43	255.24	114.11	113.31	291.62
29	अंडमान और निकोबार	28.09	19.47	1.47	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	11.23	9.63	22.29	0.00	0.00
31	डीएनएचडीडी	18.19	0.42	25.79	0.00	0.00
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	38.53	0.25	86.52	0.00	40.03
33	लक्षद्वीप	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुद्दुचेरी	22.32	9.01	0.00	0.00	10.57
35	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**7384.60481**	**5761.6982**	**2840.52604**	**1929.6**	**10877.14**

<u>**अनुलग्नक-II**</u>

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में श्री शशांक मणि और श्री एंटो एन्टोनी द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3092 के भाग (ड.) में संदर्भित अनुलग्नक

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बीबीबीपी के अंतर्गत कुल निधि उपयोग**	**मीडिया/जन जागरूकता के लिए व्यय**
1	2019-20	73.84	25.75
2	2020-21	57.61	7.02
3	2021-22	28.40	0
4	2022-23	19.29	0
5	2023-24	108.77	0
	कुल	**287.91**	**32.77**

*****